RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR ORDER

No.Estt.(RJS)/02/2025

I

Smt. Rekha Bhargava (RJ00210), an Officer in the District Judge Cadre, whose services have been repatriated from the post of Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II, vide Govt. order No. पं.17(6)श्रनि / 2023 Dated 03.01.2025 and who has been appointed/ posted as Spl. Judge (CBI) No.1, Jaipur Metropolitan-I, is hereby directed to join her new assignment at the earliest.

II

Shri Neeraj Kumar (RJ00368), an Officer in the District Judge Cadre, presently posted as Judge, Spl.Court, POCSO Act Cases No. 4, Kota, who has been appointed/posted as Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II vide State Govt. order No. पं.17(6)श्रनि / 2023 Dated 03.01.2025 on his own request vice Smt. Rekha Bhargava, consequent thereupon, is hereby relieved to join his new assignment.

III

Shri Vikram Singh (RJ00428), an Officer in the District Judge Cadre, whose services have been repatriated from the post of Judge, Motor Accident Claims Tribunal, Barmer (Balotra) vide Govt. Order No. F19(2)Nyay/2022 Dated 31.12.2024, consequent thereupon, is hereby transferred/ posted on the post of **Judge, Spl. Court, POCSO Act Cases No.4, Kota** on his <u>own request</u> vice Shri Neeraj Kumar, and he is directed to join his new assignment.

Note:

- The concerned officers are directed to hand over the charge in accordance with Order No.24/P.I. Dated 23.11.1998.
- The Officer(s) who has been transferred on his/her own request shall not be entitled to claim transfer allowance and joining time.
- 3. Officers are directed to mention their Unique Identification (UID) Number with their names while sending the report of handing/taking over the charge in accordance with Order No. 4/P.I. Dated 13.03.2023.

BY ORDER

Date: 04.01.2025

(PRAMIL KUMAR MATHUR) REGISTRAR GENERAL

Date: 04.01.2025

No.Estt.B2(v)1/2025/14

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
- 2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
- 3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
- 4. The Principal Secretary to the Government, Law Department-Cum-Legal Remembrancer, Rajasthan, Jaipur.
- 5. The Secretary to the Government of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.

Page:1

6. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.

- The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
 The Secretary to the Government of Rajasthan, Labour, Skill, Employment & Entrepreneurship Department, Rajasthan, Jaipur.
- $9. \ \ The \ \ Registrar \ \ General/Registrar (Vig.)/(Admn.)/(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F\&I)/(Judicial)$ Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
- 10. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
- 11. The Concerned District & Sessions Judges with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officers/Posts/Courts/Treasury Officers in their Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.

12. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/ Confidential/ RJS Leave/ A.A.O.(Pension/Budget)

(PRAMIL KUMÃR MATHUR) **REGISTRAR GENERAL**

राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं 17(6) धनि / 2023

जयपुर, दिनांक 03.01.2025

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-पं.17(6)श्रनि / 2023 दिनांक 03.01.2025 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपिवत धारा 8 तथा राजरथान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 में उन्लेखित राजरथान न्यायिक सेवा के जिला जज केंडर के अधिकारी को उनके सामने कालम सं. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क.सं.	अधिकारी का नाम	औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री नीरज कुमार, जज स्पे. कोर्ट पोक्सो एक्ट केसेज नं. ४ कोटा।	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर मेट्रोपोंलिटन—II

राज्यपाल के आदेश से,

्र ेि ्र (नरेश गोकलानी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 03.01.2025 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज जयपुर।

3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व वायलर्स एवं ईएसआई विभाग, राज. जयपुरं।

निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राज0 जयपुर।

5 न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

श्री नीरज कुमार, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर मेट्रोपोलिटन-॥।

7 अति० श्रम आयुक्त,(मु०) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 03.01.2025 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।

8. रक्षित पत्रावली।

७\े\ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं.17(6)श्रनि / 2023

जयपुर, दिनांक 03.01.2025

–ः आदेश :–

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक PA/RG/8()//2024/6360 दिनांक 21.12.2024 के अनुसरण में जिला जज केंडर के अधिकारी Shri Neeraj Kumar (RJ00368) Judge, Spl. Court POCSO Act Cases No.4, Kota का स्वयं के प्रार्थना पत्र पर पदस्थापन Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II के रिक्त पद पर अग्रिम आदेशों तक किया जाता है तथा Smt. Rekha Bhargava (RJ00210) Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II की सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को तुरन्त प्रभाव से लौटाई जाती हैं।

Note:- "Shri Neeraj Kumar has been transferred on his own request, shall not be entitled to claim transfer allowance and joining time"

> (नरेश गोकलानी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय (श्रम विभाग) राज0, जयपुर। 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0, जयपुर। 5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।

6 जिला कलेक्टर, कोटा / जयपुर।

7. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. अतिo श्रम आयुक्त (मुo) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 03.01.2025 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।

सम्बन्धित न्यायाधीश / न्यायालय।

डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन कोटा/जयपुर।

11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 03.01.2025 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:--

- 13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 14. सिंघव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 16. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 17. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 18. निवंन्धक, राजस्व मंण्डल अजमेर।
- 19. अति, निवंन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 20. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपूर।

शासन उप सचिव